रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ज्येष्ठ 16, 1936
No. 170] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/JYAISTHA 16, 1936

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2014

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. डीडी/1/एस/आईएनएफ/09/डीसी/39/2009.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18 के उप–नियम (17) के साथ पठित धारा 21ख (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार **श्री एस. गोपालाकृष्णन (सदस्यता सं.018863), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 8–2–293/82/ए/1131ए, मार्ग सं. 36, जुबली हिल्स, हैदराबाद–500034** को संस्थान की अनुशासन समिति द्वारा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित] की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5), (6), (7), (8) और (9) के अर्थान्तर्गत आने वाले 'वृत्तिक कदाचार' का दोषी ठहराया गया है । तत्पश्चात्, पूर्वोक्त नियमों के नियम 19 के उप–नियम (1) के साथ पठित धारा 21ख (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन समिति ने उक्त श्री एस. गोपालाकृष्णन को सुनवाई का अवसर प्रदान किया और यह आदेश दिया कि पूर्वोक्त श्री एस. गोपालाकृष्णन का नाम स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए और साथ ही उन पर 5 लाख (पांच लाख) रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया । तत्पश्चात् श्री एस. गोपालाकृष्णन ने धारा 22छ(1) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील की और अपील प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार अपील ग्रहण करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में यह निदेश दिया कि अपीलार्थी 5 लाख रुपए जमा करें, जिसका उनके द्वारा संदाय कर दिया गया । तत्पश्चात्, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22छ(2)(क) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अपील प्राधिकरण ने अनुशासन समिति द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की । इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के

विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **श्री एस. गोपालाकृष्णन (सदस्यता सं. 018863) का नाम तारीख 6 जून, 2014 से स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।**

वन्दना डी. नागपाल, निदेशक (अनुशासन)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/104/14]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2014

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/1/S/INF/09/DC/39/2009:.— In terms of the provisions of Section 21B(3) read with sub-rule (17) of Rule 18 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigation of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, **Shri S. Gopalakrishnan (M.No. 018863), Chartered Accountant, 8-2-293/82/A/1131A, Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad-500 034** has been held guilty of 'Professional Misconduct' falling within the meaning of Clauses (5), (6), (7), (8) and (9) of Part I of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006] by the Disciplinary Committee of the Institute. Thereafter, in terms of provisions of Section 21B(3) read with sub-rule (1) of Rule 19 of the aforesaid Rules, the Disciplinary Committee, afforded an opportunity of hearing to the said Shri S. Gopalakrishnan, and ordered that the name of Shri S. Gopalakrishnan, be removed from the Register of Members permanently and also imposed a fine of Rs. 5 lac (five lac) upon him. Subsequently, in terms of provisions of Section 22G(1), Shri S. Gopalakrishnan, appealed against the aforesaid order of the Disciplinary Committee before the Appellate Authority and as per orders of the Appellate Authority as a pre-condition for admission of the appeal directed the appellant to deposit Rs.5 lakhs which was paid by him. Thereafter, in terms of the provisions of Section 22G(2)(a) of the aforesaid Act, the Appellate Authority confirmed the order passed by the Disciplinary Committee. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by Section 20(2) of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **Shri S. Gopalakrishnan, (M.No. 018863), shall stand removed from the Register of Members Permanently with effect from 6th June, 2014.**

VANDANA D. NAGPAL, Director (Discipline)

[ADVT. III/4/Exty./104/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.